

खीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामिल
में जारी हुये

11 08
25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है, जिस पर वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली व प्राप्त प्रस्तावों का अवलोकन किया गया। प्रस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में अंकित खातेदारान के हिस्सानुसार प्राप्त हुए है तथा वकील वादी ने अपनी बहस में माफिक विभाजन प्रस्ताव सहमति व्यक्त की है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम सेणा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सेणा तहसील बाली के खसरा नंबर 105 रकबा 1.13 हैक्टर व खसरा नंबर 107 रकबा 0.35 हैक्टर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक-पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है :-

क. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान	रंग
1	डायाराम पुत्र दुदाराम हि० जाति मेगवाल सा. बिठिया खातेदार	107	0.15	बा.दो.	0.75	
		105	0.34	बा.दो.	1.70	
योग		2	0.49	बा.दो.	2.45	
2	सुरेश कुमार पुत्र कपूराराम हि० जाति सरगरा सा बेडा खातेदार	105/1	0.79	बा.दो.	3.95	
		107/1	0.20	बा.दो.	1	
योग		2	0.99	बा.दो.	4.95	

तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्टा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



3
सहायक क्लर्क एवं पटवेदन
सहायक क्लर्क अधिकारी बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली

डिक्री बमुकदमें इब्तादाई
(ओ. 20 रूल 8, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्वाई, आर.ए.एस.

वादी :-

सुरेश कुमार पुत्र कपूराराम जाति सरगडा निवासी बेडा तहसील बाली
बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. डायाराम पुत्र दूदारामजी जाति मेघवाल निवासी बिठिया तहसील सुमेरपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2024 / 227
वाद अंतर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व पेरोकार सरकार मिनजानिब मुद्ई व मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादी का वाद विभाजन प्रस्तावानुसार स्वीकार किया जाकर ग्राम सेणा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सेणा तहसील बाली के खसरा नंबर 105 रकबा 1.13 हैक्टर व खसरा नंबर 107 रकबा 0.35 हैक्टर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है :-

क्र.सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान	रंग
1	डायाराम पुत्र दुदाराम हि० जाति मेघवाल सा. बिठिया खातेदार	107	0.15	बा.दो.	0.75	
		105	0.34	बा.दो.	1.70	
योग		2	0.49	बा.दो.	2.45	
2	सुरेश कुमार पुत्र कपूराराम हि० जाति सरगरा सा बेडा खातेदार	105 / 1	0.79	बा.दो.	3.95	
		107 / 1	0.20	बा.दो.	1	
योग		2	0.99	बा.दो.	4.95	

तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्टा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।
बसबा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11/8/25 को जारी की गई।



(दिनेश विश्वाई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली



खसरा संख्या :105 क्षेत्रफल : 1.1300 Hectare खाता संख्या : 179 पुराना खाता संख्या : 169

भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : बारानी दोयम [1.1300, 5.65]

- 1.) डायाराम पुत्र दुदाराम हिस्सा- 1/3 जाति- मेगवाल सा. बिठिया खातेदार
- 2.) सुरेश कुमार पुत्र कपुराराम हिस्सा- 2/3 जाति- सरगरा सा बेडा खातेदार

[Handwritten signature]

595/130
 भूमि न्याय सचिव का
 कार्यालय (भू. अ.)
 बिसलपुर, जिला - बाली

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

तहसीलदार (भू.अ.) बाली

- नोट :-
१. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
 २. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 ३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ex-court

सहायक कलक्टर एवं पदेन
 उपखण्ड अधिकारी, बाली